

भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2114
15 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए

बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल

2114. कुमारी गोड्डेति माधवी:

डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार का विचार बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल खोलने का है ताकि अधिक संख्या में उनका नामांकन किया जा सके;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितना बजट आवंटित किया गया है;
- (ग) क्या सैनिक विद्यालयों में शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (घ) क्या सरकार ने सैनिक स्कूलों के शिक्षण और गैर -शिक्षण कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली परिलब्धियों के स्तर में सुधार लाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)

(क) और (ख): देश में पूर्ववर्ती पद्धति के अंतर्गत स्थापित किए गए सभी 33 सैनिक स्कूल सह-शिक्षा आधारित हैं। पूर्ववर्ती पद्धति के अंतर्गत पूर्ण रूप से बालिका सैनिक स्कूल स्थापित किया जाना विचाराधीन नहीं है।

सभी राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों में एनजीओ/निजी/राज्य सरकार के स्कूलों के साथ भागीदारी मोड के तहत 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना की पहल के अंतर्गत पूर्ण रूप से बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस संबंध में, उत्तरप्रदेश में एक स्कूल अर्थात् संविद गुरुकुलम उच्च माध्यमिक स्कूल, मथुरा, को पूर्ण रूप से बालिका सैनिक स्कूल के रूप में मंजूरी प्रदान की गई है।

(ग): नहीं, महोदय। सैनिक स्कूल, कैडेटों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और नवीनतम शिक्षण प्रौद्योगिकियों/सहायक सामग्रियों के साथ स्मार्ट क्लासेज की शुरुआत सहित कैडेटों के शैक्षणिक निष्पादन में सुधार के लिए स्कूलों द्वारा विभिन्न पहलों की शुरुआत की गई है। सैनिक स्कूल इन वर्षों के दौरान कैडेटों को अच्छे नागरिक के रूप में तैयार करने और जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए उन्हें गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने एवं प्रशिक्षण प्रदान करने में एक मॉडल के रूप में विकसित हुए हैं।

(घ) और (ड.): सैनिक स्कूलों के कर्मचारियों को सैनिक स्कूलों को शासित करने वाले नियमों एवं विनियमों के अनुसार समय-समय पर सैनिक स्कूल सोसायटी द्वारा जारी निदेशों और सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन और भत्तों का पहले से ही भुगतान किया जा रहा है।
